भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2124

गुरुवार, 4 जुलाई, 2019/13 आषाढ़, 1941 (शक)

सड़कों पर खुली पार्किंग

2124. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खुले में पार्किंग के कारण सड़कों की चौड़ाई 15 से 60 प्रतिशत तक कम हो गई है जिसके कारण पदयात्रियों से संबंधित दुर्घटनाएं गंभीर चिंता का कारण बनती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या योजना बनाई है;

(ग) क्या सरकार का पार्किंग से संबंधित एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): ऐसी कोई सूचना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ): मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 138 (ई) के अनुसार**,** पार्किंग स्थानों और स्टैंड के रखरखाव और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है और शुल्क, यदि कोई हो, उनके उपयोग के लिए प्रभारित किया जा सकता है। इसके अलावा, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 201 के अनुसार, यातायात के निर्बाध प्रवाह में रूकावट डालने के लिए शास्ति लगाई जा सकती है।

*****